


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

**:: आदेश ::**

निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स	कार्मिक का नाम मय वर्तमान पदस्थापन	व्याख्याता विषय	अवधि	स्थान जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है।
1	श्रीमती सरोज सिंहल व्या० राबागडउमावि पाली	वाणिज्य	जुलाई 2015	राउमावि हेमावास-पाली में व्याख्याता इतिहास के रिक्त पद के विरुद्ध
2	श्रीमती अनिता मीणा व्या० रा० मोइनिया इस्लामिया उमावि, अजमेर	इतिहास	01.07.2015 से 15.09.2015 तक	राउमावि मुगदड़ा-नागौर में व्याख्याता इतिहास के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक - 28/8/2016

क्रमांक :शिविरा/मा/संस्था/सी-8/वेतन व्यवस्था/2016

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान
5. सम्बन्धित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर